

G.P. 22
10/02/15

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2015

Tarun Kumar

.....Petitioner.

VERSUS

The State of Bihar & Ors.

.....Respondents.

Sub :- Removal Non Graduate

INDEX

<u>Sl. No.</u>		<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
1.		An application with Affidavit.	1 to 20
2.	Annexure-1	A Photocopy of letter No. बि०एम० डी०एम० 05/08-66	21
3.	Annexure-2	A Photocopy of Clause 4, Clause 5 and Clause 6	22-24
4.	Annexure-3	A Photocopy of list dated 19.12.2010	25
5.	Annexure-4	A Photocopy of appointment letter	26

6.	Annexure-5	A Photocopy of letter dated 31.10.2012	27
7.	Annexure-6	A Photocopy of letter dated 16.12.2013	28
8.	Annexure-7	A Photocopy of Clause VI of the guideline	29-30
9.	Annexure-8 Series	A Photocopy of application & receipt of registered post.	31-33
6.		VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2015

Tarun Kumar

.....Petitioner.

VERSUS

The State of Bihar & Ors.

.....Respondents.

SYNOPSIS

Reliefs Sought for :-

This is an application for issuance of writ in the nature of certiorary for quashing the order dated 16.12.2013 passed by S.D.O. Udakishunganj vide letter No. 36932. The order itself illegal arbitrary, capricious full of partiality, null and void passed contrary to the appropriate guideline and procedure.

- Annexure-1 is the letter dated 01.02.2010 issued by Planning Director vide letter No. बि०एम० डी०एम०, 05/08-66 for completing the selection process of

Vikas Mitra in accordance with as per guideline and work project.

- Annexure-2 provide the process for determination of majority no. of Mahadalit caste, publication of provisional list, process for filing objection and its abrogation. After abrogation publication of final list and for following 'aforesaid process period is prescribed.
- Annexure-3 is the publication of final list under Udakishunganj Sub division dated 19.02.2010.
- Annexure-4 is appointment letter of the petitioner dated 26.03.2010.
- Annexure-5 is the renewal letter of service of the petitioner dated 31.10.2013.
- Annexure-6 is letter dated 16.12.2013 whereby and where under without following the procedure for publication of majority no. of Mahadalit list provided in Annexure 2 S.D.O. Udakishunganj making favour to the Respondent No. 8 has passed that Musahar is

in majority in Mahadalit Caste than others after taking or making favour to the Respondent No. 8 and directed the B.D.O. Puraini to remove the petitioner and fill up the vacated post of Vikas Mitra within 18.12.2018 to 24.12.2013. The S.D.O. has no authority to pass removal letter .

- Annexure-7 is the guideline for, selection and removal of Vikas Mitra.
- Annexure-8 Series is the representation filed by the petitioner for consideration of his grievance even he also approached to the Lok Adalat with his complaint but no any authority and Lok Adalat has decided his case.

Hence this writ is filed for redressal of his grievance .

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No.of 2015

In the matter of an
application under Article
226 of Constitution of
India.

AND

In the matter of:-

Tarun Kumar, Son of Shree Hira Ram,
Resident of Village and P.O. - Kurshandi,
P.S.-Puraini District-Madhepura.

.....Petitioner.

VERSUS

1. The state of Bihar through the Chief
Secretary, Bihar, Patna.

2. Director of Planning, Bihar Mahadalit Vikash Mission, Bihar, Patna.
3. Additional Director of Welfare, Bihar, Patna.
4. District Magistrate, Madhepura.
5. District Planning Officer, Madhepura.
6. Sub Divisional Welfare Officer (Mahadalit in charge), Udakishunganj.
7. Sub Divisional officer, Udakishunganj.
8. Vivekanand Sada, Son of Shree Mahendra Sada, Village - Balia, P.O. - Naya Tola, P.S. - Puraini, District - Madhepura.

.....Respondents.

To,

The Hon'ble Mr. L. Narasimha Reddy
the chief Justice of the Patna High Court

of Judicature at Patna and his companion
Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition
on behalf of
Petitioner above
named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1. That this is an application for
issuance of an appropriate writ /
writs, order / orders,
direction/directions in the nature of
certiorari for quashing, the letter
dated 16.12.2013 passed by S.D.O.,
Udakishunganj vide letter No. 36932,
whereby and where under the petitioner
has been arbitrarily removed from the
post of Vikas Mitra without giving any
opportunity to the petitioner to

represent his case. The order itself void as per guideline and work project (dk;Z ;kstuk) provided for the selection and removal of Vikas Mitra and any other relief / reliefs as on the basis of facts and circumstances of the case stated herein below.

2. That the substantial question involved in the present writ application are as follows :-

(I) Whether or not the respondent authorities are justified by removing arbitrarily to the petitioner from the post of Vikas

Mitra without any fault on his part ?

- (II) Whether or not the respondent authorities are justified by removing the petitioner against the guidelines provided for the selection and removal of the Vikas Mitra ?
- (III) Whether or not the respondent authorities are justified to remove the petitioner without giving the petitioner any opportunity to be heard.
- (IV) Whether the impugned order has been passed in utter violation of principle of natural Justice ?
- (V) Whether or not the respondent authorities are justified by

removing the petitioner on his own fault and passed, illegal order giving favour to the Respondent.

3. That the petitioner is a citizen of India and residing within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
4. That it is stated and humbly submitted that the Bihar Government has taken a policy decision to start Mahadalit Vikas Mission for the development of Schedule Caste and to provide employment namely Vikas Mitra to an eligible person belonging to Mahadalit community on the contract basis from the rural area in each panchayat and from urban area in each ward.
5. That it is stated and humbly submitted that for the purpose of selection of

Vikas Mitra guideline has provided whereby and where under process for selection, eligibility, Honorarium, training elevation, period of employment and removal process, duties of Vikas Mitra and liability of B.D.O., executive Officer has been explained.

6. That it is stated and humbly submitted that for the purpose of selection of Vikas Mitra an work project has been also provided by the S.C. and S.T. Welfare Department whereby and where under various steps period has given for following the selection process of Vikas Mitra.
7. That it is stated and humbly submitted that a letter dated 01.02.2010 is issued by the Planning Director, Bihar

Mahadalit Vikas Mission, Bihar, Patna vide letter No. बि०एम० डी०एम० ०५/०८-६६ whereby and where under it is stated that complete the selection of Vikas Mitra, following the determined process with priority basis within stipulated period given in the guidelines of work project.

A Photocopy of letter dated 01.02.2010 is annexed as Annexure-1 to this petition.

8. That it is stated and humbly submitted that under the revised work project period has prescribed for taking steps in the selection process of Vikas Mitra.
9. That it is stated and humbly submitted that during prescribed period appropriate steps for determination of majority no. of Mahadalit Caste and preparation of list has provided at

Clause 4 of the work project and at Clause 5 period prescribed for recommendation or approval and publication of list provisionally majority Mahadalit Caste Clause 6 has provided the period for filing objection and abrogation on the determined majority no. of Mahadalit Caste and after abrogation of objection publication of list of cast Majority.

A Photocopy of Clause 4, Clause 5 and Clause 6 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this writ application.

10. That it is stated and humbly submitted that after taking aforesaid steps a list of Majority of Mahadalit was

published on 19.12.2010 whereby and where under Block wise majority of Mahadalit under Udakishunganj sub division for selection of Vikas Mitra has been shown.

A Photocopy of list dated 19.12.2010 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this application.

11. That it is stated and humbly submitted that after publication of majority list of Mahadalit the process for appointment of Vikas Mitra has taken place and the petitioner has been appointed as Vikas Mitra. The appointment letter had been supplied or given to the petitioner on 26.03.2010.

A Photocopy of appointment letter is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this application.

12. That it is stated and humbly submitted that the petitioner had done work satisfactorily therefore he was further considered for the post of Vikas Mitra and his appointment was renewed vide letter No. 3863 dated 31.10.2012. A letter in this regard has been sent to the petitioner till 3.10.12' no any objection has raised. by the authority concerned or by any Mahadalit Caste regarding Majority point.

A Photocopy of letter dated 31.10.2012 is annexed herewith and

marked as Annexure-5 to this application.

13. That it is stated and humbly submitted that the petitioner had been further appointed as an Vikas Mitra and done work satisfactorily peacefully and with devotion till 16.12.2013. No any complaint made against the petitioner by the respondent authorities. All of a sudden a letter was issued by the Sub Divisional Officer vide letter No. 3693 dated 16.12.2013 for removal of the petitioner on the point of majority of Mahadalit Caste and at Paragraph 2 of the aforesaid letter it is stated that the Musahar is higher in majority than Other Mahadalit without following the procedure provided consideration of majority no. of Mahadalit caste and publication of final list as given in Clause 5 and 6 of the war to project only for giving favour to the Respondet. of the Caste and at Paragraph 5 of the aforesaid letter B.D.O.,

Puraini has directed to remove the petitioner because he has not belong to majority in number of Mahadalit Caste and take steps for fresh appointment on the vacant post within 18.12.2013 to 24.12.2013.

A Photocopy of letter dated 16.12.2013 is annexed herewith and marked as Annexure-6 to this application.

14. That it is stated and humbly submitted that the order of removal of the petitioner passed by the Sub-Divisional Officer dated 16.12.2013 vide letter No. 36932 is itself void. S.D.O. has no power to pass removal of Vikas Mitra order in his own signature. The removal

is against guideline provided for the selection and removal of Vikas Mitra. The period during which Vikash Mitra has been employed and process for removal of Vikas Mitra has been stated at Clause VI of the guideline. According to which District Planning Officer has only authority to remove Vikas Mitra on the consent of the District Officer. Only giving favour to the respondent the latter dated 16.12.13 has been issued.

A Photocopy of Clause VI of the guideline is annexed herewith and marked as Annexure-7 to this application.

15. That it is stated and humbly submitted that the determination of Mahadalit Caste was prepared and approved by the

authorities concerned as stated at column 2 of Clause 4 of work project and period was also prescribed at same Clause. No interruption interference made or tampered with the preparation of the list by the petitioner. There is no fault on the part of petitioner. Petitioner is quite innocent has suffered for the act done by the respondent authorities. No opportunity was given to the petitioner although sub clause 8 of clause III of guideline provided for taking action in accordance with law.

16. That it is stated and humbly submitted that the petitioner has done work since 2010 to 2013 his service was renewed in the year 2012 and he was further

considered for continuation. And till 2012 no any objection has raised no action has taken and at the for end of the year 2013 the petitioner has been removed from his post with malafide intention giving favour of the Respondent No. 8.

17. That it is stated and humbly submitted that being aggrieved by the order dated 16.12.2013 petitioner has filed application and sent by registered post before the D.M., Madhepura, Mantri Kalyan Bibhag, Patna. Mahadalit Vikas Mission, Patna on 31.12.2013. But till date his application has been not considered by the aforesaid authorities. He approached to the Lok Adalat on 19.12.2013 but till date his case has also not been decided. Therefore petitioner filed this writ

application for the redressal of his grievance.

A Photocopy of application & receipt of registered post are annexed herewith and marked as Annexure-8 Series to this application.

18. That it is stated and humbly submitted that the order dated 16.12.2013 is illegal, arbitrary, malafide, suffering from partiality, null & void, abuse of the power of his post and against the constitutional provision.

It is therefore prayed that your Lordship's may graciously be pleased to

issue rule NISI calling upon the respondent authorities to show cause as to why the writ application be not admitted or disposed of at the time of admission stage itself and on return of the rule, is not sufficient cause is shown, make the rule absolute, allow the writ application and after hearing the parties be further pleased to command the respondent to provide the relief as sought for which petitioner is entitled in accordance with law and quash the order dated 19.12.2013 passed by the

S.D.O., Udakishunganj vide
letter No. 36932.

And / Or

Pass such other order(s) as
your lordships may deem fit
and proper.

And

During pendency of writ
application stay the
operation of further
appointment.


And for this the Petitioner shall ever
pray.

AFFIDAVIT

I, Tarun Kumar, aged about 26 years Son of Shree Hira Ram, Resident of Village and P.O. - Kurshandi, P.S.-Puraini District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That, I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That, the contents of this affidavit and petition have been read and explained to me in Hindi which I have fully understood and the same are true to my knowledge and belief.
3. That, the statement made in Paragraph No. 1 to 6, 8, 15, 16 and 18 are to my knowledge and those are mentioned in Paragraph No. 7, 9 to 14 and 17 are true to my information derive from the record and rest are by way of submission.
4. That, the Annexure are photocopy of their originals respectively.

तरुण कुमार



बिहार सरकार

अनु-जाति एवं अनु-जनजाति कल्याण विभाग
बिहार महादलित विकास मिशन



10-1-10
21

मुख्यमंत्री सचिवालय,
4, देश रत्न मार्ग, बिहार, पटना

पत्रांक सं०-बि०एम०डी०एम०/०५/०८-६६



डा. एन.सरवण कुमार, भा.प्र.से.
परियोजना निदेशक
बिहार महादलित विकास मिशन
बिहार, पटना।

सभी जिला पदाधिकारी

विषय: विकास मित्र के चयन से संबंधित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका एवं कार्ययोजना प्रेषण के संबंध में।
पटना, दिनांक.../02/2010

महाशय,

उक्त विषय के संबंध में कहना है, कि पत्रांक 41 दिनांक 19/01/2010 के माध्यम से पुनरीक्षित मार्गदर्शिका एवं कार्ययोजना प्रेषित की गई थी। कार्ययोजना की कड़िका -1 के अलावा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 29/01/2010 को किया गया। उक्त कार्यशाला में विभिन्न जिलों के उपरान्त मार्गदर्शिका एवं कार्ययोजना में आंशिक बदलाव किये गये हैं।

पुनरीक्षित मार्गदर्शिका एवं कार्ययोजना प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्राप्त पुनरीक्षित मार्गदर्शिका एवं कार्ययोजना के आलोक में विकास मित्र की चयन की प्रक्रिया निर्धारित समय-समय पर सर्वोच्च प्राथमिकता दे कर पूर्ण कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

(Signature)
परियोजना निदेशक

पत्रांक सं 168-2/क० दिनांक 22-2-10

आज्ञापूर्वक पदाधिकारी मध्येपुल सहा/35/किमु/2010
यनेय प्र०कलयता पदा० मध्येपुल सहा/35/किमु/2010
का पुचलाय एवं अनुकूलन (पहित) प्रत्येक जिले को
देतु प्रेषित।

242
जिला कलमाती प
मध्येपुल

Answer 22

4	<p>पंचायतों (ग्रामीण) / वार्ड (शहरी) को महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता निर्धारण कर सूचि बनाना</p>	10.02.2010 तक	<ul style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड में पदास्थापित पदा. कर्मचारी का सहयोग लेकर जाति बहुलता का निर्धारण का कार्य पूरा करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यकतानुसार जाति बहुलता निर्धारण में कार्यपालक पदाधिकारी का सहयोग करेंगे। शहरी क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा जाति बहुलता के निर्धारण का कार्य किया जाएगा। अनुमण्डल कल्याण पदा. (ग्रामीण महादलित) जिला अन्तर्गत सभी अनुमण्डल का भ्रमण कर महादलित जाति की बहुलता वाले पंचायतों/वार्डों की बहुलता सूचि निर्धारित अवधि में पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल अन्तर्गत महादलित जाति की बहुलता वाले पंचायतों/वार्डों की जाति बहुलता सूचि निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे। 	<p>जिला परियोजना पदाधिकारी भ्रमण कर कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे एवं आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करेंगे।</p>	<p>पदाधिकारी</p>
<p>1. विकास मित्र - महिला आरक्षण</p> <ul style="list-style-type: none"> विकास मित्र भयन में महादलित समुदाय की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व से महिला मुखिया (ग्रामीण) एवं महिला वार्ड आयुक्त (शहरी) के लिए आरक्षित पंचायत और वार्ड, महिला विकास मित्र के लिए आरक्षित रहेंगे। वार्ड (शहरी) में महादलित परिवार की 50 से कम संख्या होने की स्थिति में वार्ड (शहरी) का समूह बना कर विकास मित्र का चयन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी:- (i) समूह में न्यूनतम एक एवं अधिकतम चार वार्ड (शहरी) होंगे। (ii) चार वार्डों को मिलाकर 50 महादलित परिवार नहीं होने की स्थिति में भी अधिकतम चार वार्ड पर एक विकास मित्र चुना जाएगा। (iii) समूह बनाने के बाद महादलित जाति की बहुलता निर्धारित की जाएगी तदनुसार चयन किया जाएगा। (iv) वार्ड (शहरी) के समूह बनाने के उपरान्त उनमें से सबसे अधिक महादलित जनसंख्या वाला वार्ड अगर महिला वार्ड आयुक्त (नगर निकाय) के लिए आरक्षित है, तो उस वार्ड (शहरी) समूह को महिला के लिए आरक्षित घोषित किया जाएगा। 					<p>पदाधिकारी</p>

5

03

	<p>2. महादलित जाति बहुलता निर्धारण</p> <p>• सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायतवार (ग्रामीण)/वाडवार (शहरी) क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की जाति बहुलता का निर्धारण करने के लिए निम्न सर्वेक्षणों का आधार बना सकते हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सर्वेक्षण (अंचलाधिकारी द्वारा कराया गया) 2. मतदाता सूचि 3. पारिवारिक सर्वेक्षण सूचि (प्रा.वि.वि.) 4. अन्य कोई सर्वेक्षण जो राज्य, जिला या प्रखंड स्तर पर किया गया हो 5. कर्मचारी/पंचायत सेवक/अन्य द्वारा तैयार किया गया महादलित जाति की बहुलता की सूचि/जानकारी 6. जनगणना 	<p>10.02.2010 तक</p>	<p>• अनुमण्डल पदाधिकारी चयन समिति की बैठक की तिथि निर्धारित करेंगे।</p> <p>• अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी (प्रभासी महादलित) प्रखण्ड एवं अनुमण्डल के बीच समन्वय स्थापित कर चयन की तिथि अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराया कर निर्धारित अवधि में अनुमण्डल एवं प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे।</p>	<p>उप-निर्देशक कल्याण एवं जिला परियोजना पदाधिकारी अनुमण्डल का भ्रमण कर कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे एवं आवश्यक सहयोग देंगे और मार्गदर्शन करेंगे।</p>	<p>जिला पदाधिकारी</p>
<p>5. औपबधिक महादलित जाति की बहुलता की सूची का अनुमोदन एवं प्रकाशन</p>	<p>• महादलित जाति की बहुलता वाले निर्धारित पंचायतों (ग्रामीण)/वाडों (शहरी) की सूची अनुमण्डल हेतु अनुमण्डल चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।</p> <p>• अनुमोदनोपरान्त सूची अनुमण्डल प्रखण्ड, पंचायत एवं नगर निकाय कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।</p>	<p>12.02.2010 तक</p>			

24

अपत्ति

<p>6. महादलित जाति की बहुलता वाले पंचायतों (ग्रामीण) / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) के निर्धारण पर आपत्ति निराकरण</p>	<p>3-नुमण्डल पदाधिकारी महादलित जाति की बहुलता वाले पंचायतों (ग्रामीण) / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) के निर्धारण पर आपत्ति प्राप्त करेंगे। स्थल - अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय</p>	<p>12.02.2010 से 14.02.2010 तक</p>	<p>• संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व आपत्ति प्राप्त करना एवं उसका संतोषजनक निराकरण करना होगा।</p>	<p>जिला परियोजना पदाधिकारी महादलित जातिगत वहुलता की अंतिम सर्वेक्षण सूची राज्य मंत्रालय को भेजें एवं साँपट कॉपी में प्रेषित करेंगे।</p>
<p>आपत्ति निराकरण के उपरांत जाति बहुलता सूची का प्रकाशन</p>	<p>• अनुमंडल पदाधिकारी महादलित जाति की बहुलता वाले पंचायतों (ग्रामीण) / वार्ड (शहरी) के निर्धारण पर प्राप्त किये गए आपत्ति का निराकरण करेंगे। • अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी इस कार्य में अनुमण्डल पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग देंगे। • जाति बहुलता की आपत्ति निराकरित सूची अनुमण्डल प्रखण्ड, पंचायत एवं नगर निकाय कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।</p>	<p>20.02.2010 तक</p>	<p>• अनुमंडल पदाधिकारी सूची का प्रकाशन करायेगे।</p>	<p>जिला परियोजना पदाधिकारी</p>
<p>7. आवेदन पत्र का प्रकाशन</p>	<p>• आवेदन पत्र के प्रपत्र का प्रकाशन राज्य स्तर से सम्पन्न पत्रों के अलावे जिला, अनुमण्डल, प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा।</p>	<p>22.02.2010 तक</p>	<p>आवेदन पत्र प्राप्त करने, पंजी का संधारण एवं आवेदन पत्रों के समुचित रख-रखाव को मुख्य जिम्मेवारी प्र.वि. पदा. (ग्रामीण) / कार्यपालक पदा. (शहरी) की होगी।</p>	<p>आवेदन संबंधित सभी कार्य अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में पूरी की जायेगी।</p>
<p>आवेदन पत्र प्राप्त करना</p>	<p>• अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में प्र.वि.पदा.</p>	<p>22.02.2010 से 03.03.2010 तक</p>	<p>अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी (ग्रामीण महादलित) सभी प्रखण्डों में आवेदन पत्रों</p>	<p>जिला परियोजना पदाधिकारी</p>

Annex-3

95
30

अनुसूचित - उदाकिशुमण
जिला - मधेपुरा

बिहार महादलित विकास मिशन
विकास मित्र चयन - जाति बहुलता निर्धारण प्रपत्र
प्रखण्ड स्तरीय प्रपत्र
प्रखण्ड नामर निकाय - पुरैनी

क्र.सं.	पंचायत कांडे समूह (कलस्टर) (शहरी)	बहुलता वाली महादलित जाति का नाम	अवस्था
	पुरैनी	रविदास	मौजिया ✓
	मणेशपुर	रविदास	मौजिया ✓
	नरदह	रविदास	सामान्य ✓
	कुरसडी	रविदास	सामान्य ✓
	अपरगढ़	मुसहर	मौजिया
	जीवाण	मुसहर	सामान्य
	दुर्गापुर	रविदास X	पुलितर से मुसहर
	मकलमपुर	मुसहर	सामान्य
	बंशगंज	मुसहर	सामान्य

Santayam
19102110

प्रखंड विकास अधिकारी

रुह

अनुसूचित सचिव, उदाकिशुमण

अनुसूचित पदाधिकारी

उदाकिशुमण

19/2

Annex 4

26

प्रपत्र - 4

नियोजन पत्र

श्री/श्रीमति : तरुणा कुमार
पिता/प्रति का नाम : श्री बीरा राम
ग्राम : कुरखण्डी
पोस्ट : कुरखण्डी
पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) : कुरखण्डी
प्रखंड/नगर निकाय : खमट पुरैनी
अनुमंडल : उदाकिष्णगंज - जिला : मधुपुरा

आपको सूचित किया जाता है कि बिहार महादलित विकास मिशन, पटना, के पत्रांक 41 दिनांक 19.01.2010 के आलोक एवं दिनांक 16.09.2010 को प्रकाशित चयन सूची के आधार पर आपका चयन पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) कुरखण्डी प्रखंड/नगर निकाय पुरैनी अनुमंडल उदाकिष्णगंज जिला मधुपुरा में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर संविदा आधारित नियोजन विकास मित्र के रूप में किया जाता है:-

1. विकास मित्र अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशासन एवं लागूकों के बीच कड़ी का कार्य करेंगे।
2. विकास मित्र का संविदा पर नियोजन 11 (ग्यारह) महीनों के लिये किया गया है। संतोषप्रद कार्य के आधार पर मिशन द्वारा पुनः नियोजन पर निर्णय लिया जा सकता है।
3. विकास मित्र सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा नियोजन के परवात् उनका दायित्व एवं कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में अनुमंडल या जिला परियोजना पदाधिकारी की अनुमति पर जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर नियोजन समाप्त करने की कार्यवाही जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।
4. प्रत्येक विकास मित्र को प्रतिमाह 3,000/- (तीन हजार) रुपये मूलदेय प्रखंड मिशन कार्यालय से किया जाएगा।
5. संविदा आधारित नियोजित विकास मित्र द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा।

स्थान उदाकिष्णगंज

दिनांक 26-09-2010

26-3-10
अनुमंडल पदाधिकारी
उदाकिष्णगंज

Annexure-5

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज

27

पत्रांक..... 3863-2 / (19)

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
मधेपुरा।

दिनांक..... 31 अक्टूबर, 2012

विषय :- विकास मित्रों के नियोजन नवीकरण के संबंध में।

प्रसंग :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी का पत्रांक- 607-2, दिनांक-15.06.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी के द्वारा अपने प्रखंड से निम्न विकास मित्रों का नियोजन नवीकरण हेतु प्रपत्र-10 में अधुंशंसा के साथ विवरणी समर्पित किया है, जिसे नवीकरण कर प्रपत्र मूल में भेजा जा रहा है:-

क्र०	विकास मित्रों का नाम	पंचायत का नाम	प्रखंड का नाम	अभ्युक्ति
1	गिरो राम	नरदह	पुरैनी	
2	तरुण कुमार	कुरसंडी	पुरैनी	

अतः अनुरोध है कि पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुमंडलक :- यथोक्त।

विश्वरामभाजन

10/10/12

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।

10.10.12

Annexure 6

98

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज

पत्रांक. 9-695-2

प्रेषक :-

अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
पुरैनी।

उदाकिशुनगंज, दिनांक.....16.....दिसम्बर 2013

विषय :-

विकास मित्र के पद पर नियोजन के संबंध में।

प्रसंग :-

बिहार महासंघित विकास मिशन के पत्रांक - 1478, दिनांक 06.12.2013, पत्रांक 151 दिनांक 08.02.2012 एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 999 दिनांक 09.12.2013 तथा पत्रांक 1015 दिनांक 13.12.2013.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि -

1. आपके प्रखण्ड अन्तर्गत गाम पंचायत - कुरसंडी में विकास मित्र के नियोजन से संबंधित जाति बाहुल्यता को लेकर जितेंद्र सादा एवं अजय कुमार सादा के द्वारा शिकायत की गई थी, से संबंधित प्रतिवेदन को नाज आपसे कि गई थी।
2. आपके पत्रांक 1203-2 दिनांक 01.11.2012 से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें प्रतिवेदित किया गया था कि उक्त पंचायत में मुसहर जाति की बाहुल्यता है से संबंधित प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को मार्गदर्शन हेतु भेजा गया परंतु कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ।
3. पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1653-2 दिनांक 12.06.2013 को तत्संबंधी मार्गदर्शन के लिए स्मार पत्र भेजा गया था, तथापि कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ।
4. जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 1015 दिनांक 13.12.2013 के आलोक में शिखर विकास मित्र के पद पर नियोजन करने से संबंधी पत्र प्राप्त है जिसमें नियोजन से संबंधित पदाधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी सक्षम हैं।
5. अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि पूर्व के नियोजित विकास मित्र तरुण राम, पिता - हीरा राम, का चयन मुक्त किया जाता है तथा उनके स्थान पर पुनः विकास मित्र के रिक्ति के विच्छेद दिनांक 18.12.2013 से दिनांक 24.12.2013 तक विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर विज्ञापन में वांछित मापदंडों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, तथा नियोजन से संबंधित सभी दस्तावेज दिनांक 05.01.2014 तक आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

16/12/13

अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।
16.12.13

प्रखण्ड
सी.एस.ओ.
मधेपुरा
16-12-13

'विकास मित्र' : चयन मार्गदर्शिका

I. विकास मित्र का चयन

महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड समूह (कलस्टर) पर एक विकास मित्र का चयन किया जायेगा। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर)(शहरी) में जिस महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जायेगा।

II. चयन हेतु योग्यता

1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी।
2. आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2010 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होगी।
3. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
4. जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहाँ के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं चयन किया जाएगा।
5. जिस पंचायत (ग्रामीण) में महादलित परिवार की 50 से कम संख्या हो, वहाँ से विकास मित्र का चयन नहीं किया जाएगा एवं उसे भौगोलिक दृष्टि से निकटतम पंचायत क्षेत्र से संयोज कर दिया जायेगा।
6. वार्ड (शहरी) में महादलित परिवार की 50 से कम संख्या होने की स्थिति में वहाँ पंचायत (कलस्टर) बना कर विकास मित्र का चयन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी :-
 - (i) समूह (कलस्टर) में भौगोलिक दृष्टिकोण से निकटतम, न्यूनतम एक एवं अधिकतम चार वार्ड (शहरी) होंगे।
 - (ii) चार वार्ड को मिलाकर 50 महादलित परिवार नहीं होने की स्थिति में भी अधिकतम चार वार्ड पर एक 'विकास मित्र' चुना जाएगा।
 - (iii) समूह (कलस्टर) बनाने के बाद महादलित जाति की बहुलता निर्धारित की जाएगी तदनुसार चयन किया जाएगा।

III. चयन प्रक्रिया

1. विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत रूप से किया जाएगा :-

क्र. सं.	पद	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	अध्यक्ष	अनुमंडल पदाधिकारी	अनुमंडल पदाधिकारी
2	सदस्य सचिव	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी / अनुमंडल अंतर्गत पदस्थापित वरीय प्रखंड कल्याण पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी / अनुमंडल अंतर्गत पदस्थापित वरीय प्रखंड कल्याण पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी
3	सदस्य	प्रखंड विकास पदाधिकारी	कार्यपालक पदाधिकारी
4	सदस्य	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी / प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी	

30

3. अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
4. चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।
5. विकास मित्र चयन में महादलित समुदाय की 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व से महिला मुखिया (ग्रामीण) एवं महिला वार्ड (ग्रामीण) के लिए आरक्षित पंचायत और वार्ड, महिला विकास मित्र के लिए आरक्षित रहेंगे। वार्ड (ग्रामीण) समूह (कलस्टर) बनाने के उपरांत उनमें से सबसे अधिक महादलित जनसंख्या वाला वार्ड और महिला वार्ड आयुक्त (नगर निकाय) के लिए आरक्षित है, तो उस वार्ड (शहरी) समूह को महिला के लिए आरक्षित घोषित किया जाएगा।
6. मेधा अंक का आकलन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पूर्णांक	मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अभिव्यक्ति
----------	-----	-----------------	-----------	----------	----------------------------------	-----------------------	------------

7. समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. मेधा सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त व्यक्ति के अनुपलब्धता/योगदान नहीं देने/दस्तावेज नहीं पेश करने की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी मेधा सूची के नीचे के कम वाले अभ्यर्थी के नामों पर कार्रवाई करेंगे।

IV. मानदेय

प्रत्येक विकास मित्र को प्रतिमाह 3000.00 (तीन हजार) ₹0 मानदेय प्रदान किया जाएगा।

V. प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण

मेधा सूची के आधार पर चयनित विकास मित्रों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन अनुमंडल स्तर पर किया जाएगा। कार्यशाला में शपथ ग्रहण एवं नियोजन पत्र का वितरण किया जायेगा।

9 MP

VI. नियोजन की अवधि एवं नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया

विकास मित्र का नियोजन 11 (ग्यारह) माह हेतु किया जायेगा तथा उसके बाद पुनः नियोजन पर आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा। विकास मित्र सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे। नियोजन के पश्चात् किसी भी समय उनके चरित्र एवं कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी या जिला परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त हो तो नियोजन समाप्त करने की कार्रवाई जिला परियोजना पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। नियोजन समाप्ति पर मात्र किये गए कार्य अवधि का ही मानदेय भुगतान देय होगा।

VII. विकास मित्र का कर्तव्य

'विकास मित्र' अपने-अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशासन एवं लाभुकों के बीच कड़ी काम करेंगे तथा इस संबंध में विस्तृत कर्तव्यतालिका नियोजन के समय उपलब्ध करा दी जाएगी।

VIII. प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का दायित्व

1. सभी महादलित टोलों, महादलित परिवार का सर्वेक्षण कराना एवं सर्वेक्षण के आधार पर पंचायतवार/वार्ड समूहवार (कलस्टर) (शहरी) जाति बहुलता निर्धारित करना।
2. सर्वेक्षण सूची का अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित करना।
3. पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) सर्वेक्षण सूची एवं रिक्ति को प्रकाशित करना।
4. आवेदन-पत्र को प्राप्त करना एवं आवेदन पंजी का रख-रखाव करना।

देवागे,

Annaar & Sonel

(3)

श्रीमान जिला पदाधिकारी नयेमुल

विषय - अड्डा नं० ५३१/१३-३६३/१३ के अंतर्गत ३६९३-२
आंक - १६/१२/१३ को निरस्त करने के सम्बन्ध

हैशिय:-

निवेदन पूर्वक कना हॉक में कुरेनी परबे आनर्गत कुरसंडी
पंचायत में २६-३-२०१० को विकास मित्र चयन (सर्वोत्तम प्रकल्प)
वाहुलता शीर्ष/अनुसूचित हुआ है।
यथा चरम नियोजन में जिले की आवश्यकता आवेदन किया है।
ले सही के सही सर्वोत्तम परिकार को है।
निर्णयान्त नियोजन को है सर्वोत्तम पंचायतवा वाहुलता सरकार को
द्वारा बनाया गया था जिसके अंतर्गत में आवेदन किया था जो
लोकनिष्ठा कार्य कारण हुआ है परबे विकास पदा
कुरेनी में मुझे ३६९३-१३/१३ का एक पर मुझे
रिहाय कराय जिले की कुरेनी विकास मित्र पर है चयन
मुक्त करने का आदेश प्राप्त हुआ है और पर में उल्लेख
किया गया है कुरसंडी पंचायत में सर्वोत्तम की नई मुसहर की
वाहुलता है। अब की जिस समय वाहुलता बनकर गया गा। जिसमें
सर्वोत्तम की वाहुलता लागू होने रहे अब नियोजन ही चार साल
बाद मुझे चयन मुक्त किया जा रहा है। यह सरासरी आन्ध्र है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि
अनुसूचित पदा अड्डा नं० ५३१/१३-३६३/१३ के अंतर्गत ३६९३-२ आंक
१६/१२/१३ को निरस्त करने की कृपा किया जाय।

श्रीमानका विश्वासी प्रार्थी
तरुण कुमार (विकास मित्र)
पंचायत - कुरसंडी
परबे - कुरेनी

(F.C.P. No 31)

सेवा में,

श्रीमान जिला पदाधिकारी मधेपुरा ।

विषय :- अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज के पत्रांक 3693-2
दिनांक 16.12.2013 को निरस्त करने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं पुरेनी प्रखंड अन्तर्गत कुरसंडी पंचायत में 26.03.2010 को विकास मित्र चयन (रविदास पुरुष) बाहुलता श्रेणी अनुसार हुआ है ।

प्रथम चरण नियोजन में जितने भी अभ्यर्थी आवेदन किये थे । वे सभी के सभी रविदास परिवार के थे ।

विकासमित्र नियोजन होने से पूर्व पंचायतवार बाहुलता सरकार के द्वारा बनाया गया था जिसके अनुरूप में आवेदन किया था और लेकिन बिना कोई कारण मुझसे पूर्व प्रखंड विकास पदा० फरेनी थे मुझे 3693 दिनांक 16.11.2013 का एक पत्र मुझसे रिलीभ कराया जिसमें की मुझे विकास मित्र पद से चयन मुक्त करने का आदेश प्राप्त हुआ है । और पत्र में उल्लेख किया गया है । कुरसीडी पंचायत में रविदास की नहीं मुसहर की बाहुलता है । जब कि जिस समय बाहुलता बनवाया गया था । जिससे रविदास की बाहुलता लागु होते रहे जब नियोजन से चार साल बाद मुझे चयन मुक्त किया जा रहा है । यह सरासद अन्याय है ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अनुमंडल पदा० उदाकिसुनगंज के पत्रांक 3693-2 दिनांक 16.12.13 को निरस्त करने की कृपा किया जाए ।

श्रीमान का विश्वासी
तरुण कुमार विकास मित्र
पंचायत कुरसंडी
प्रखंड- पुरैनी

समाहरणालय, मधेपुरा

(जन शिकायत कोषांग)

पावती रसीद

क्रमांक 4436

दिनांक 19/12/13

1. जन शिकायत क्रमांक 6002

2. आवेदक का नाम एवं पता

112 नं. उ. का. शा.
सरायी, पुराना, मधेपुरा

Som/DWO

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं तिथि

SP MADHEPURA COLLECTORATE
 EF546010942IN
 Counter No:1, CP-Coded:FCU
 To:MANTRI KALYAN BIRKAS, KALYAN
 PATNA, PIN:800001
 From:TARUN KUMAR, KUSMUNDI
 Wt:30grams,
 PS:39.00, 31/12/2013, 13:50
 Taxes:Rs.4.00<Track on www.indiapost.gov.in>



SP MADHEPURA COLLECTORATE
 EF546010939IN
 Counter No:1, CP-Coded:FCU
 To:MANTRI KALYAN BIRKAS, KALYAN
 PATNA, PIN:800001
 From:TARUN KUMAR, KUSMUNDI
 Wt:30grams,
 PS:39.00, 31/12/2013, 13:52
 Taxes:Rs.4.00<Track on www.indiapost.gov.in>



M. MADHEPURA COLLECTORATE
 A/RF 1530610741IN
 Counter No:1, CP-Coded:FCU
 To:THE D N, MADHEPURA
 Madhepara Collectorate S., PIN:802117
 From:TARUN KUMAR, KUSMUNDI FLORANI
 Wt:20grams,
 PS:22.00, 31/12/2013, 13:47
 <<Have a nice day>>



भारतीय डाक